श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2016 को संपन्न अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 28.04.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/महाप्रबंधक, बुडको/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/परियोजना प्रबंधक, ब्रेडा/कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पथ प्रमंडल, पटना एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में Dedicated मजिस्ट्रेट/पुलिस बल की व्यवस्था कराने का निर्देश जिला दंडाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गयी थी, जिसका उपयोग नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रभावी तरीके से किया जाएगा।

इस निर्णय के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में विभाग के स्तर से जिला पदाधिकारी/वरीय आरक्षी अधीक्षक को पत्र भेजा जाय। **श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।**

3. **पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

3.1 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक एवं अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि बरसात से पूर्व शनिचरा में निर्माणाधीन आर०सी०सी० पुल का का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल द्वारा बताया गया पुल निर्माण कार्य धीमा है, जिसे पूर्ण होने में अभी लगभग तीन–चार माह का समय लगने की संभावना है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सचिव, पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय। यह अतिआवश्यक है कि कार्य तीव्र गति से हो ताकि बरसात के समय इस क्षेत्र में जलजलाव की समस्या नहीं हो।

3.2 पटना शहरी क्षेत्रांतर्गत अवस्थित पथों के सौंदर्यीकरण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पथ प्रमंडल द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण

विभाग द्वारा इस हेतु डी०पी०आर० बनाकर तकनीकी स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जा रही है।

इनके द्वारा यह भी बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा कंकड़बाग रोड, गायत्री मंदिर रोड, अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारो ओर रोड बाइडेलिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। फुटपाथ, डिवाईडर पर ग्रिल एवं पौधे लगाने हेतु निधि की माँग की जा रही है।

इनके द्वारा बताया गया कि पटना उच्च न्यायालय के निकट, वर्तमान में कार्यान्वित लोहिया पथ चक्र योजना के पूर्ण होने के बाद इसके सौंदर्यीकरण की योजना बनायी जाएगी।

3.3 शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथांसों में पथों की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाईट, डिवाईडर, ग्रीन बेल्ट, साईकिलिंग ट्रैक, पार्किंग आदि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Urban Road Policy का प्रारूप तैयार करके पथ निर्माण विभाग को भेजी गयी है।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

3.4 बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain से संबंधित डी०पी०आर० बुडको द्वारा बनाये जा रहे है। सैदपुर नाला एवं सर्पेन्टाईन नाला का Feasibility Report तैयार हो गया है।

निर्देश दिया गया कि Feasibility Report एवं डी०पी०आर० बनाने के क्रम में नाले की सफाई के संबंध में योजना बना ली जाय और कितनी दूरी पर Opening छोड़ा जाएगा, वह भी परियोजना में शामिल हो।

3.5 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित पम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पथ प्रमंडल द्वारा कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी गयी। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाइ की जाय।

3.6 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ था कि फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग स्थलों का प्रबंधन, पथ निर्माण विभाग द्वारा अथवा पटना नगर निगम द्वारा किया जाय।

इस संबंध में विचारण हेतु एक टीम गठित किया जाय, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अभियंता

तथा पटना नगर निगम के अभियंता रहेंगे। यह समिति एक माह के अंदर पार्किंग हेतु योजना तैयार करेगी। **<u>श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

बेली रोड फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग के प्रबंधन के मामले पर निर्णय हेतु संचिका प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थापित की जाय। **<u>श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

3.7 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में यह भी निर्णय हुआ था कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय।

बैठक में बताया गया कि इसके निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है। इस संबंध में सचिव, पथ निर्माण विभाग को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र प्रेषित किया जाय।

4. <u>जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 पिछली बैठक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके सटे ही मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। स्पष्टतः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक भवन एवं दुकानें बनायी गयी है एवं इसके निकट डूडा–1 द्वारा कल्वर्ट बनाया जा रहा है।

शहर की जल निकासी का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। निर्देश दिया गया कि सर्वप्रथम ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक भवन तथा दुकान के रूप में जो अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाने हेतु पटना नगर निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता अविलंब कार्रवाई करेंगे। साथ ही यह आँकलन किया जाना आवश्यक है कि जो कल्वर्ट डूडा द्वारा बनाये जा रहे हैं, उसका डिस्चार्ज कैपिसिटी स्ट्रॉग ड्रेनेज के लायक है, यदि नहीं है तो उसे तोड़कर अन्य कल्वर्ट बनाया जाय। स्पष्टतः संबंधित अभियंता का दायित्व था कि एरिया का ध्यान रखते हुए कल्वर्ट बनाया जाता। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण माँगा जाय। **<u>श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

कल्वर्ट के डिस्चार्ज क्षमता के आँकलन हेतु एक समिति बनायी जाती है, जिसमें मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, कार्यपालक अभियंता,

पटना नगर निगम, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल रहेंगे। यह समिति स्थल निरीक्षण करके 5 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने एवं कल्वर्ट के डिजाईन पर अंतिम निर्णय लेंगे।

4.2 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में तथा अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की पिछली बैठक में में बादशाही नाला, जो जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्ति है, के 17 स्थानों पर अतिक्रमण की बात आयी थी। पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया था कि बादशाही नाला को अतिक्रमण मुक्त करके, मॉनसून के पूर्व उड़ाही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि नाले की सफाई की योजना बनायी जा रही है। चूँकि मॉनसून आने में लगभग एक माह शेष है, अतः इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग एवं जिला पदाधिकारी, पटना को अवगत कराने हेतु अधोस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेजा जाय, जिसमें अनुरोध किया जाय कि इसे अभियान स्वरूप अतिक्रमणमुक्त करके सफाई का कार्य कराया जाय ताकि मॉनसून के समय जल निकासी में कोई समस्या नहीं हो।

4.3 पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनबा नाले के अतिक्रमण के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि उसमें अतिक्रमण नहीं है और पानी का बहाव ठीक है।

निर्देश दिया गया कि इस नाले में जो Siltation हुआ है, उसे शीघ्र हटाया जाय ताकि जलनिकासी में समस्या नहीं हो।

5. *ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–*

5.1 बैठक में ब्रेडा के परियोजना प्रबंधक उपस्थित हुए। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ब्रेडा द्वारा शहर के कई पथों पर स्ट्रीट लाईट लगाये गये हैं।

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि कई स्थानों पर स्ट्रीट लाईट खराब पड़े हुए हैं और इसके रखरखाव की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

ब्रेडा के परियोजना प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि सभी स्ट्रीट लाईट का स्थल निरीक्षण कराकर, जो भी लाईट खराब हैं, उसकी मरम्मती

सुनिश्चित करायी जाय और अगली बैठक से पूर्व इस संबंध में पूर्ण सूची नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि ब्रेडा द्वारा अपने स्तर पर एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाय, जिस पर नागरिकों द्वारा स्ट्रीट लाईट के खराब होने पर Complain दर्ज किया जा सके ताकि शीघ्र मरम्मती सुनिश्चित हो।

6. बुडको से संबंधित मुद्दे :–

6.1 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से Intelligent Traffic Management System एवं CCTV की व्यवस्था की जा रही है। बुडको द्वारा पूर्व में 65 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट की व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

निर्णय लिया गया कि अब बुडको के माध्यम से ट्रॉफिक लाईट लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तदनुसार ट्रॉफिक लाईट के संबंध में बुडको द्वारा जो कार्य किये गये हैं, उसका Input बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि बेल्ट्रॉन द्वारा Traffic Management System में सृजित किये गये संरचना को integrate किया जा सके।

6.2 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाना बुडको को निर्देशित किया गया था।

महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि इसके डी०पी०आर० बनाने हेतु कंसल्टेंट का चयन किया गया है।

निर्देश दिया गया कि नमामि गंगे के अंतर्गत बनाये जा रहे डी०पी०आर० की जानकारी प्राप्त की जाय और उसके गाईडलाईन को भी देख लें ताकि यथासंभव गाईडलाईन के तहत कार्रवाई हो।

6.3 महाप्रबंधक (टेक्निकल), बुडको द्वारा बताया गया कि पटना जलापूर्ति योजना योजना के संबंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख नगर विकास एवं आवास विभाग में भेजा गया है एवं दानापुर जलापूर्ति योजना का संलेख तैयार किया जा रहा है।

निर्देश दिया गया कि दानापुर जलापूर्ति योजना का संलेख तैयार करके शीघ्र विभाग में उपलब्ध कराया जाय।

6.4 रामचक बैरिया में अपशिष्ट से ऊर्जा प्लांट के निर्माण हेतु लैंडफिल साईट के लिए पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी थी, परन्तु इसके हस्तांतरण से पूर्व CSR से NOC प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही लैंडफिल साईट के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप बुडको अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रामचक बैरिया में अंदर के लिंक रोड का निर्माण कार्य, बरसात से पूर्व हर हालत में पूर्ण कर लेना आवश्यक है अन्यथा कूड़ा डंप करने में कठिनाई होगी।

इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे।

6.5 महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरणों के क्रय के लिए उपकरणवार बुडको द्वारा निर्धारित की गयी दर की तुलना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में DGS&D की दरों के साथ तुलना करके, तुलनात्मक विवरणी विभाग में भेज दिया गया है।

निर्देश दिया गया कि तुलनात्मक विवरणी प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु संचिका में उपस्थापित की जाय।

6.6 गाँधी मैदान के सौदर्यीकरण के लिए तैयार किये गये संशोधित डी०पी०आर० को प्रधान सचिव के स्तर से प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल को पुनः प्रेषित की जाय।

निर्देश दिया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त का मंतव्य प्राप्त कर शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई पूर्ण की जाय।

6.7 प्रतिवेदित किया गया कि रेलवे स्टेशन के समीप स्टेशन से पार्किंग तक एलीवेटर लगाने की योजना हेतु बुडको तथा रेलवे के पदाधिकारी के साथ बैठक हो गयी है एवं NOC प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

निर्देश दिया गया कि संबंधित संचिका प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु उपस्थापित की जाय।

6.8 बुडको के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती समारोह के उपलब्ध में पटना सिटी में स्ट्रीट लाईट, हाईमास्ट लाईट लगाने की योजना बुडको से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे**।

6.9 कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि बुडको द्वारा निर्माणाधीन एस०पी० वर्मा रोड पंप हाऊस से मंदिरी नाला के Outfall drain का कार्य अत्यंत धीमा चल रहा है। यदि बरसात के पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होता है तो रेलवे स्टेशन के समीप जलजमाव होने की संभावना है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अपने स्तर पर बैठक करके, दिन–प्रतिदिन के आधार पर अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

7. <u>बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे</u> :–

7.1 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अशोक नगर, कंकड़बाग मिनी सम्प, मीठापुर करबिगहिया नाला निर्माण एवं सैदपुर ड्रेनेज का सुदृढ़ीकरण हेतु डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग में भेज दिया गया है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **<u>श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

7.2 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि अशोक नगर जीरो प्वाइंट पर सम्प हाऊस के निर्माण हेतु डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग में भेज दिया गया है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **<u>श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

7.3 बेऊर से मीठापुर, करबिगहिया से मीठापुर एवं मीठापुर से नंदलाल छपरा के ड्रेनेज का प्रारूप डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग में भेज दिया गया है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **<u>श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

7.4 रोड कटिंग के कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पटना प्रमंडल द्वारा बताया गया कि आधुनिक तकनीक Micro tunmelling के माध्यम से किया जाय।

इस पर मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इस तकनीक के उपयोग में काफी खर्च है।

इस संबंध में निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा Comporational Cost Analysis करके अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिससे रोड कटिंग इत्ययादि भी Coundin किया जाए।

7.5 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा AMRUT योजना के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि 14 में से 9 शहरों के योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

निर्देश दिया गया कि शेष 5 शहरों के योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :–

7.1 पटना शहर में अधिकाँश सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है।

निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, ऐसे शौचालयों के संधारण हेतु, अपने स्तर पर समीक्षा करके एवं समुचित संधारण की व्यवस्था करके, अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

7.2 निर्देश दिया गया कि अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाय।

7.3 जलजमाव की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए विभिन्न अंचलों में जो संरचनात्मक कमियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, संयुक्त रूप से विवरण नगर आयुक्त को समर्पित करें। वैसे संरचनात्मक कार्य, जो जरूरी हो, उन्हें नगर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों से तत्काल स्वीकृत किया जाय।

7.4 शहर में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित किया जाय। तदनुसार पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुलवारी शरीफ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद खगौल को कड़ी मेहनत एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

2/5/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2848 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/5/16
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2848 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/5/16
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2848 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/5/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ/नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2848 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/5/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/श्री संजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/5/2016

प्रधान सचिव